प्रेषक.

श्री एस0 आर0 लाखा, सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोज्गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊ: दिनाँक- 19 फरवरी, 2002

विषय : स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की उपयोजना कम्यूनिटी स्ट्रक्चर का कार्यान्वयन। महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 4970/69-1-2001-1(एम.जे.)/97, दिनांक 15 दिसम्बर, 2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

- 2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपुर्यक्त पत्र दिनांक 15.12.2001 के संदर्भ में भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उपशुमन मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या-एन-11026/24/2001-एस.जे.एस.आर.वाई./यू. पी.ए.-111, दिनांक 8 फरवरी, 2002 के द्वारा स्पष्ट किया है कि कम्यूनिटी स्ट्रकचर मद से निर्माण सम्बन्धी कार्य यथा स्कूल भवन, मण्डप तथा रैन-बसेरा का निर्माण नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त मद से सामुदायिक केन्द्र, सामुदायिक शौचालय/स्नानागार के निर्माण में आपित्त नहीं है। भारत सरकार के उक्त पत्र की प्रति संलग्न है।
- 3. अत: भारत सरकार के उपुर्यक्त पत्र के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा पत्रांक : 4970/69-1-2001-1(एस. जे.)/97, दिनांक 15.12.2001 के माध्यम से निर्गत निर्देशों को उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। कृपया भारत सरकार के पत्र संख्या-एन-11026/24/2001-एस.जे.एस.आर.वाई./यू.पी.ए.-111, दिनांक 8 फरवरी, 2002 के दिशा-निर्देशानुसार ही कम्यूनिटी स्ट्रकचर उपयोजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय, **एस.आर.लाखा** सचिव

संख्या-174/69-4-2002-1 (एस.जे.) 97, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2. समस्त मण्डलायुक्त, उ० प्र01
- 3. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र0।
- 4. श्री के. आर. मोहन. अवर सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उपशन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को उनके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2002 के संदर्भ में अवलोकनार्थ।
- गार्ड फाइल हेतु। '

आज्ञा से, एस. आर. लाखा सचिव

No.N-11026/24/2001-SJSRY/UPA-III Government of India Ministry of Urban Deelopment & Poverty Alleviation

Nirman Bhavan, New Delhi 110 011 Dated the 8th February, 2002

Shri S.R. Lakha,
Secretary,
Urban Employment & Poverty Alleviation Department,
Govt. of Uttar Pradesh,
Vikas Bhavan, Janpath,
Lucknow 226 003.

Subject: Implementation of Community Structure Component under SJSRY.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 4970/69-1-2001-2002-01/S.J./97 dated 15.12.2001 on the Subject cited above and to state that the funds under Community Structure Component are required be utilized for "gap filling" arrangement. The resources under this Component are to be primarily utilized for social service activities like awareness campaigns, health camps, extending educational facilities-both adult and non-formal educaton, formation of Self-help Groups and encouraging thrift and credit societies etc., etc., possibly with linkages with the on-line Departments and in the absence of such linkages as "gap-filling" arrangement. Communitymay also utilize the funds according to its felt needs for any such activity, after passing a resolution to the effect, which will ultimately result in motivation, empowerment and upliftment of its members.

- 2- The expenditure on construction activities like building of schools, mandaps and rehan-baseras are no permisible under the Community Structure Component of SJSRY. However, there is no objection if the funds are utilized for building of Community Kendras and Community Toilets/Bathrooms under the Component.
- 3- It is, therefore, requested that necessary modification may be made in the circular under intimation to this Ministry.

Yours faithfully
(K.R. Mohan)
Under Secretary to Government of India

Tel No. 3010185